Attest 2 Nijamo Wali

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 737363

यह जनरल स्टाप पेपर श्रीमती रामकुमारी सिंह शिक्षा सेवा संस्थान
ग्राम – कुसुमा पो० – पुरवा
जिला गोरखपुर फाइल नं० जी/0114980
निजामवली के साथ संलग्न है

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
20/6/09

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 737362

यह जनरल स्टाम्प पेपर ... श्रीमती ज्ञानकुमारी सिंह शिक्षा सेवा संस्थान
... ग्राम - बघउआ पो० - बुरवा
जिला गोरखपुर फाइल नं० [illegible]
... [illegible] ... के साथ संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
20/6/09

32. सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, म्यूजिक, नाट्य, के कार्यक्रमों की निःशुल्क जानकारी देना।

33. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबन्ध करना।

34. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवों एवं शहरों में अभिरूचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाडियों को प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना।

35. जनता के हितार्थ के लिए वैकल्पिक उर्जा श्रोत के साधनों का विकास, शोध, और निर्माण कराना तथा गांवों में विजली, पानी की व्यवस्था एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु गोबर गैस प्लांट, एयर हरवाइन,एवं सोलर प्लांट का निर्माण नियमानुसार करने का प्रयास करना।

36. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

37 बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ,आई0एल0ओ0,यूनोडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कन्धे से कन्धा मिलाकर योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से सम्वन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना

38 फूलों एवं फलो की खेती तथा वागवानी वोर्ड से संबधित जानकारी जन मानस तक पहुंचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

39 विज्ञान एव प्रोद्योगिकी से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना करना।

40 विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रवन्ध करना, विद्यालय, आश्रम-पद्वति विद्यालय व आवासीय /अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।

41. आम जनता के उपयोग के लिए धमार्थ कम्यूनिटी हाल, बरातघर, वृद्धाश्रम, महिलाअश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ-डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट-स्टे-होम, मूक-वधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

42. बालिकाओं/महिलाओं से सम्वन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी देना, अविवाहित माता, विधवा ,पारिवारिक हिंसा /दहेज प्रथा दहेज पीडित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब वेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना ।

हरिश्चन्द्र सिंह
रघुराज सिंह
[illegible]
पुनीता सिंह
ओमप्रकाश सिंह
राजकुमार सिंह
कुसुम सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

43. प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति विकसित करना।

44. स्वंय सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना,सरकार की स्व0रोजगार परक योजनाओं में सहायता, सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व नवयुवतियों को रोजगार की जानकारी प्रदान कराना।

45. वन-सम्पदा के दोहन को रोकने को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणी गुणों के बारे में जानकारी देना।

46. समाज के सभी वर्गो व लिंग को अध्यात्मिक, सामाजिक, व शिष्टाचार का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।

47. गौशाला खोलवाकर, पशुपक्षियों की सेवा करना तथा अवैधानिक तरीके से पशुपक्षियों का शिकार करने वालों पर रोक लगवाना तथा जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य करना।

48. प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बनाने के लिए प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों का उत्पादन करना व बागवानी करना।

49. देश विदेश से आये विद्यार्थियों बोद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओ की व्यवस्था कराना व उसकी निःशुल्क व्यवस्था एवं संचालन करना।

50. उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को करना।

51. राष्ट्रीय बागवानी वोर्ड द्वारा संचालित कार्य क्रमों का प्रचार व प्रसार करना।

रविन्द्र सिंह

5- ओमप्रकाश सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

राजू कुमार सिंह

7 कुसुम सिंह

पुनीता सिंह

18. नदियों के गन्दे नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागों की अनुमति से करना छोटे पोखरे एवं तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।

19. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सिवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाई के कार्यों में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना।

20. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न नामो से विद्यालय /महाविद्यालयों की स्थापना करना।

21. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।

22. विकलांग बालक एवं बालिकाओं को हास्टल व घर से विद्यालय लाने व पहुचाने हेतु बस का प्रवन्ध करना।

23. समाज में व्याप्त अंधविश्वास एंव कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास करना।

24. संस्था के माध्यम से सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित, जनजाति, अल्पसंख्यक बालक/ बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना व उनके उत्थान के लिए कार्य करना व शिशु से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना।

25. दैवी आपदा बाढ़ भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों में शासन वं प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

26. संस्था के माध्यम से सरकार से अनुमति लेकर विद्यालय, तकनीकी विद्यालय व महाविद्यालयों की स्थापना करना।

27. जानवरों के चारागाह हेतु सरकार की अनुमति से नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना तांकि जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।

28. मानव संसाधन विकास मंत्रालय,सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, यूवा कल्याण एवं खेलमंत्रालय,ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयां तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।

29. महिलाओं के लिए रोजगार हेतु जानकारी देने का प्रयास करना।

30. समाज के सभी कमजोर आय वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कराना तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

31. सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देना।

......4

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

7. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, अधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध के क्षेत्र में जानकारी देना।
8. औषधि कार्यो के लिए जड़ी बूटियों ,जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना, व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खेती एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, मैन्थामिन्ट (पिपरमिन्ट) की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करना।
9. परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांवों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना, टीकाकरण, जैसे पल्स पौलियों,. हैपीटाइटिस ,फाईलेरिया, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स,कैसर, टी0बी0 कुछ क्षेत्रीय बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना वं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना, व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर जन-साधारण को जानकारी मुहैया कराना, व निःशुल्क होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सालय स्थापित करना।, दृष्टिहीन, मूकवधिर विद्यालयों की स्थापना करना, व निःशुल्क नेत्र चिकित्सालयों, नेत्र दान, राक्त दान, व [illegible], जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में जानकारी देना।
10. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यो व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार व प्रसार करना ।.
11. समाज के लिए व्याप्त छूआछूत,ऊंच-नीच तथा जाति-धर्म की विषमता की निर्मूल संमाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।
12. शराब व मादक पदार्थो का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार नशा उन्मूलन एवं पुर्नवास केन्द्र स्थापित करना।
13. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।
15. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
16. सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी करवाना।
17. जल संरक्षण, जलसंचयन, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रों की स्थापना करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

स्मृति—पत्र

संस्था का नाम :: श्रीमती [illegible]नकुमारी सिंह शिक्षा सेवा संस्थान

संस्था का पूरा पता :: ग्रा0वथुआ पो0 पुरवा बाजार तह0 गोला जनपद– गोरखपुर।

संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

संस्था का उद्देश्य

1. समाज के अल्पसंख्यक,पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामन्य वर्ग की बालक /बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे- कम्प्यूटर, हार्डवेयर,साफ्टवेयर,डी0टी0पी0,सिलाई,कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग,फलसंरक्षण रेक्सीन कला,गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर के बारे में प्रशिक्षण व जानकारी देना,एवं रोजगार के बारे में सलाह देकर उनकी योग्यतानुसार निःशुल्क उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

2. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन वोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग ,रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग वोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना व तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान व वाणिज्य की शिक्षा, प्राईमरी जू0हाई0स्कूल, हाईस्कूल,इण्टर, एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या विद्यालयों /महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं अविकसित विद्यालयों की प्रगति के लिए प्रयास करना व प्राइमरी से लेकर उच्चतर तक संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना करना।

4. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को साचारित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एंव बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0 सी0बोर्ड/आई0एस0सी0ई0 पैर्टन पर अंग्रजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।

5. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न विभिन्न नामों से कन्या महाविद्यालयों की स्थापना करना।

6. कमजोर व निर्धन विकलांग बालक एवं बालिकाओं के रहने हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालयों की स्थापना करना, सरकार से अनुमति लेकर निःशुल्क विकलांग चिकित्सालयों की स्थापना करना व निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।

........2

हरिश्चन्द्र सिंह
[illegible] सिंह
[illegible]
पुनीता [illegible]
ओम [illegible] सिंह
राजु कुमार सिंह
कुसुम सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0प्र0 गोरखपुर

14. *संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व*

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी सक्षम न्यायालय में सुलझाये जायेंगें एवं समस्त मुकदमों वाद–प्रतिवादों की पैरवी प्रबन्धक के द्वारा की जायेगी।

15. *संस्था के अभिलेख–*

1.सदस्यता रजिस्टर 2.कार्यवाही रजिस्टर 3 सूचना रजिस्टर 4.स्टाक रंजिस्टर 5 कैश बुक

16. संस्था का विघटन–

संस्था के विघटन की समस्त कार्यवाही सोसायटीज रंजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक ... चिट्स गोरखपुर

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

1. [signature]

2. [signature]

3. प्रीता सिंह

सत्य – प्रतिलिपि

[signature] 20.6.09

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
20/6/09

प्रतिलिपि कर्ता [signature]
मिलान कर्ता [signature] 20/6/09

11. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
12. सदस्यों से चन्दा लेना एवं उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार प्रबन्धक का होगा। प्रबन्धक द्वारा जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।
13. विद्यालय के निर्माण से सम्बन्धित समस्त कार्यों को अपनी देख रेख में. करवाना।
14. शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सहयोग करना।
15. संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित करना।
16. समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
17. बैठकों का दिनांक, स्थान व समय निश्चित करना।
8. कार्यवाहिें को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।

कोषाध्यक्ष–

1. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
2.. संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या निजी बैंक या पो० आ0 में संस्था के नाम से जमा करवाना।
3.. संस्था के कार्यों में सहयोग करना।
4. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना व साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

11. *संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया–*

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किया जावेगा।

12. *संस्था का कोष–*

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या सरकारी एवं निजी बैंक या पो0 आ0 में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसके संचालन के लिए प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

13. *संस्था के आय- व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)*

संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना।
4. नियमावली में परिवर्तन करना।
5. कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
6. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय व सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं बैंक/बैंकों, खादीग्रामोद्योग, व्यक्ति/व्यक्तियों से, चन्दा, दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
7. आजीवन सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा।
8. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय व हस्तान्तरण करने का अधिकार प्रबन्धक का होगा।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

10. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–**

अध्यक्ष–

1. संस्था की बैठकों का अध्यक्षता करना।
2. समिति के बैठकों के लिए दिन, स्थान, निश्चित करना।
3. संस्था के लिए अन्य जो भी आवश्यक हो करना।
4. बैठकों में शांति व्यवस्था कायम करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो कोकरना।

प्रबन्धक–

संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा दान ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन एवं निलम्बन करना।

3. अनुशासन बनाये रखने का प्रयास करना।
4. सांस्कृतिक कार्यो व धार्मिक कार्यो का आयोजन करवाना।
5. संस्था में किसी प्रकार का मतभेद पैदा होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना।
6. शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सहयोग करना।
7. बिल एवं वाउचरों को चेक करना।
8. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों को सुरक्षित रखना।
9. संस्था से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों को अपनी देखरेख में करवाना।
10. आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कार्यो/लेखों की जांच करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

ख– बैठक– साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं

ग– सूचना अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी ।

द– गणपूति–साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा। एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

य.– वार्षिक अधिवेशन की तिथि–साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार आवश्य होगी जो मांह जून में होगा।

र– साधारण सभा के कर्तव्य–

1. प्रबन्ध समिति का चुनाव कराना।
2. प्रबन्ध वार्षिक बजट पास करना।
3. वार्षिक बजट रिर्पोट पास करना।
4. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
5. चल एवं अचल सम्पत्ति का देख भाल करना।

8- ***प्रबन्धकारिणी समिति***

क– गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें. 4.पदाधिकारी व..3 सदस्य होगें और कुल की संख्या 7 की होगी।

ख– बैठक–प्रबन्धकारिणी समिति के सामन्य बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग– सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारीयों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

घ– गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ङ– रिक्त स्थानों की पूर्ति– रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

हरिश्चन्द्र सिंह

पुनीता सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

नियमावली

संस्था का नाम :: श्रीमती ज्ञानकुमारी सिंह शिक्षा सेवा संस्थान

2. संस्था का पूरा पता :: ग्रा0बथुआ पो0 पुरवा बाजार तह0 गोला जनपद– गोरखपुर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

अ. आजीवन सदस्य–
जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 5001/– रूपया नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

ब– विशिष्ट सदस्य– समिति के प्रति हितेषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

स. साधारण सदस्य– जो व्यक्ति संस्था के लिए सदैव कार्यरत रहेगें या संस्था को 101/– रू0 वार्षिक चन्दा देते रहेगें, संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेगें।

5. *सदस्यता की समाप्ति*–

1. मृत्यु होने पर
2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर
5. कमेटी द्वारा पारित नियमों का पालन न करने पर ।
6. इक्कीस वर्ष से कम आयु होने पर।
7. सदस्यता शुल्क न देने पर
8. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर
9. सम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने पर
10. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर

1 [signature]
2 [signature]
3 पुनीता सिंह

कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

6. संस्था के अंग–अ– साधारण सभा ब–प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा–

क– गठन–संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा जिसमें आजीवन, संरक्षक, एवं सामान्य व संस्था के सदस्य भी सम्मिलित होगें।

......2

ग– सूचना अवधि–

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर